न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1, लखीमपुर खीरी।
पीठासीन अधिकारी–पारूल जैन, एच0जे0एस0

सत्र वाद संख्या–58/2023

सरकार बनाम बलराम आदि

अपराध सं0–359/22
धारा–323,504,506,307,308 भा0दं0सं0
थाना–फूलबेहड, जिला–खीरी।

दिनांक 08–07–2024

पत्रावली पेश हुई ,प्रार्थना पत्र 18 ख पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभियुक्तगण का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, जो आज के लिये स्वीकृत।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थनापत्र ख–18 वादी मुकदमा संजय को तलब किए जाने के लिए अंतर्गत धारा 311 दं.प्र.सं. इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त् वाद वास्ते साक्ष्य हेतु नियत है, वादी मुकदमा संजय का बयान न्यायालय में हो चुका है। कुछ बिन्दुओं पर संजय(वादी मुकदमा) से जिरह करना छूट गया है। इसलिये न्यायहित में वादी मुकदमा संजय को तलब करना आवश्यक है। गवाह पी0डब्लू02 से जिरह नही की गयी है। अतः वादी मुकदमा को तलब किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एंव विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

In Rajendra Prasad v. Narcotic Cell through its Officer–in– Charge, Delhi, AIR 1999 SC held

"Lacuna in the prosecution must be understood as the inherent weakness or a latent wedge in the matrix of the prosecution case. The advantage of it should normally go to the accused in the trial of the case, but an over sight in the management of the prosecution cannot be treated as irreparable lacuna. No party in a trial can be foreclosed from correcting, errors. If proper evidence was not adduced or a relevant material was not brought on record due to any inadvertence, the Court should get mistakes to be rectified. As function of the criminal Court is administration of criminal justice and not to count errors committed by the parties or to find out and declare who among the parties performed better."

धारा 311 दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा गवाहान तभी बुलाये जा सकते है जब न्यायालय को न्यायसंगत विनिश्चिय के लिए आवश्यकता हो। किसी भी पक्षकार को कमी सुधारने के लिए धारा 311 दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुसार गवाह से पुनः प्रतिपरीक्षा के लिए नहीं बुलाया जा सकता।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में पी.डब्लू.–1 वादी मुकदमा की मुख्य परीक्षा अभिलिखित किए जाने के उपरान्त अभियुक्तगण को प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से दिनांक 23.08.2023 को विस्तृत जिरह की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी को पुनः प्रतिपरीक्षा हेतु आहूत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्तगण की ओर से निराधार तथ्यों के आधार पर मात्र विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से वर्तमान प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है। अभियुक्तगण पुनः उक्त साक्षी को रिकाल कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब कराना चाहते है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण जानबूझकर वाद की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से विलम्बित करना चाहते है। प्रार्थनापत्र में वर्णित आधार पर्याप्त नहीं है। उपरोक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान स्तर पर उक्त साक्षी पी0डब्लू01 संजय को प्रतिपरीक्षा हेतु आहूत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ख–18 निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र ख–18 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते जिरह पी0डब्लू02 दिनांक **19.07.24** को पेश हो, साक्षी नियत दिनांक हेतु तलब हो।

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0–1,
लखीमपुर खीरी।
08–07–2024

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2024.07.09 16:17:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court